वर्ष 2010-11 के पश्चात् भारतीय इस्पात क्षेत्र का विकास

वर्ष 1991 से सरकार द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधारों ने सामान्य रूप से औद्योगिक विकास और विशेष रूप से इस्पात उद्योग में नये आयाम जोड़े हैं। कुछ स्थानीय प्रतिबंधों को छोड़कर क्षमता निर्माण के लिए लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया था और इस्पात उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से हटा दिया गया था। 100% की विदेशी ईक्विटी निवेश को स्वत: अनुमति दे दी गई। इस्पात उद्योग को कुशल एवं प्रभावी बनाने की दृष्टि से कीमत एवं वितरण संबंधी नियंत्रणों को हटा दिया गया। आयात एवं निर्यात, दोनों के संदर्भों में बाह्य व्यापार पर प्रतिबंध आयात शुल्क में भारी कमी के साथ हटा दिए गए थे। पूंजीगत वस्तुओं पर आयात शुल्क में कमी, व्यापार खाते पर रूपये की परिवर्तनीयता, विदेशी बाजारों से संसाधन जुटाने की अनुमति जैसे सामान्य नीतिगत उपायों से भी भारतीय इस्पात उद्योग को लाभ हुआ। आज, विश्व स्तर पर दूसरे सबसे बड़े कच्चे इस्पात उत्पादक के रूप में और 150 मिलियन टन से अधिक की क्षमता के साथ, भारतीय इस्पात उद्योग ने लंबा सफर तय किया है। हाल के दिनों में इस तरह की वृद्धि के प्रमुख आंकड़े निम्नलिखित हैं:-

<u>बिक्री हेतु उत्पादन/उत्पादन</u>

उत्पादन आंकड़े वाले निम्नलिखित खंड में जेपीसी की उपर्युक्त (परिवर्तनशील) रिपोर्टिंग प्रणाली को शामिल और स्पष्ट किया गया है।

क) कुल तैयार इस्पात का उत्पादन/बिक्री के लिए उत्पादन

वर्ष 2013-14 तक प्रचलित जेपीसी रिपोर्टिंग प्रणाली *(विवरण हेतु: कृपया परिशिष्ट देखें)* के अनुसार, बिक्री के लिए तैयार इस्पात के कुल उत्पादन में प्रमुख और अन्य उत्पादकों की अगुवाई में था जिनका *मुख्य उत्पादकों* की तुलना में प्रमुख हिस्सा था।

कुल तैयार इस्पात (मिश्र धातु/स्टेनलेस+गैर-मिश्र धातु): बिक्री हेतु उत्पादन (मिलियन टन)				
वर्ष	**(क) मुख्य उत्पादक**	**(ख) प्रमुख एवं अन्य उत्पादक**	**बिक्री के लिए उत्पादन (क+ख)**	**प्रमुख एवं अन्य उत्पादकों का प्रतिशत हिस्सा**
2010-11	18.407	50.214	68.621	73.2
2011-12	17.978	57.718	75.696	76.2
2012-13	19.244	62.437	81.681	76.4
2013-14	22.196	65.479	87.675	74.7
स्रोत: जेपीसी				

जेपीसी: मई, 2022 में अद्यतित

वर्ष 2014-15 से 2017-18 के लिए प्रचलित रिपोर्टिंग प्रणाली के तहत (विवरण के लिए: कृपया परिशिष्ट का संदर्भ लें), यह देखा गया है कि कुल तैयार इस्पात उत्पादन में *अन्य उत्पादकों* का हिस्सा धीरे-धीरे कम हो गया है।

कुल तैयार इस्पात का उत्पादन (मिश्र धातु/स्टेनलेस + गैर-मिश्र धातु) (मिलियन टन)				
अवधि	**(क) सेल, आरआईएनएल, टीएसएल, ईएसएल, जेएसडब्ल्यू, जेएसपीएल**	**(ख)अन्य उत्पादक**	**उत्पादन (क+ख)**	**अन्य उत्पादकों का प्रतिशत हिस्सा**
2014-15	50.717	53.861	104.578	51.5
2015-16	52.375	54.227	106.602	50.9
2016-17	61.916	58.224	120.140	48.5
2017-18	69.143	57.712	126.855	45.5
स्रोत: जेपीसी				

वर्ष 2018-19 से रिपोर्टिंग संबंधी क्रूड इस्पात समतुल्य फॉर्मेट की शुरुआत किए जाने से जेपीसी रिपोर्टिंग प्रणाली में बदलाव आया है। नई रिपोर्टिंग प्रणाली के तहत, यह देखा गया है कि कुल तैयार इस्पात उत्पादन में *अन्य उत्पादकों* की हिस्सेदारी में वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2021-22 में मामूली वृद्धि हुई है।

कुल तैयार इस्पात का उत्पादन (मिश्रधातु/स्टेनलेस + गैर मिश्र धातु) (मिलियन टन)				
अवधि	**(क) सेल, आरआईएनएल, टीएसएल समूह, ईएसएल, जेएसडब्ल्यू, जेएसपीएल**	**(ख)अन्य उत्पादक**	**उत्पादन (क+ख)**	**अन्य उत्पादक का प्रतिशत हिस्सा**
2018-19	61.283	40.004	101.287	39.5
2019-20	61.286	41.336	102.621	40.3
2020-21	55.322	40.882	96.204	42.5
2021-22*	65.065	48.531	113.596	42.7
स्रोत: जेपीसी; एएम/एनएस =पूर्ववर्ती एस्सार स्टील; *अनंतिम				

जेपीसी: मई, 2022 में अद्यतित

वर्तमान डाटा श्रृंखला का ग्राफीय प्रस्तुतिकरण निम्नानुसार है:-

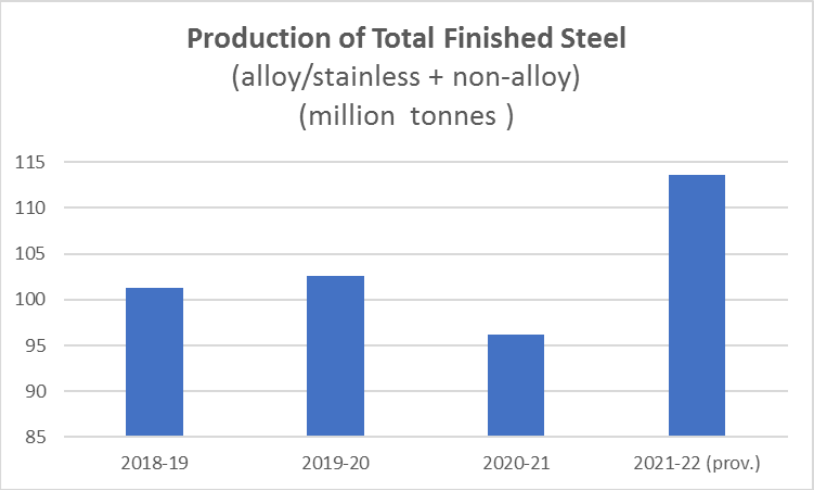

(ख) पिग आयरन उत्पादन / बिक्री के लिए उत्पादन

वर्ष 2013-14 तक उपलब्ध जेपीसी रिपोर्टिंग प्रणाली के अनुसार, बिक्री के लिए पिग आयरन का कुल उत्पादन *प्रमुख और अन्य उत्पादकों* की अगुवाई में था, जिनका *मुख्य उत्पादकों* की तुलना में प्रमुख हिस्सा था।

पिग आयरन की बिक्री के लिए उत्पादन (मिलियन टन)				
वर्ष	**(क) मुख्य उत्पादक**	**(ख) प्रमुख एवं अन्य उत्पादक**	**बिक्री के लिए उत्पादन (क+ख)**	**प्रमुख एवं अन्य उत्पादकों का प्रतिशत हिस्सा/**
2010-11	0.579	5.104	5.683	89.8
2011-12	0.502	4.869	5.371	90.7
2012-13	0.674	6.196	6.870	90.2
2013-14	0.552	7.398	7.950	93.1
स्रोत: जेपीसी				

जेपीसी: मई, 2022 में अद्यतित

वर्ष 2014-15 से 2017-18 के लिए प्रचलित रिपोर्टिंग प्रणाली के अंतर्गत, यह देखा गया है कि कुल पिग आयरन उत्पादन में *अन्य उत्पादकों* का प्रमुख हिस्सा रहा है।

पिग आयरन का उत्पादन (मिलियन टन)				
अवधि	**(क) सेल, आरआईएनएल, टीएसएल, ईएसएल, जेएसडब्ल्यू जेएसपीएल**	**(ख)अन्य उत्पादक**	**उत्पादन (क+ख)**	**अन्य उत्पादक का प्रतिशत हिस्सा**
2014-15	1.213	9.015	10.228	88.1
2015-16	1.287	8.953	10.240	87.4
2016-17	0.905	9.437	10.342	91.2
2017-18	0.726	5.002	5.728	87.3
स्रोत: जेपीसी				

वर्ष 2018-19 से, रिपोर्टिंग संबंधी क्रूड इस्पात समतुल्य फॉर्मेट की शुरूआत किए जाने से जेपीसी रिपोर्टिंग प्रणाली में बदलाव आया है। नई रिपोर्टिंग प्रणाली के अंतर्गत, यह देखा गया है कि कुल तैयार इस्पात उत्पादन में *अन्य उत्पादकों* का हिस्सा प्रमुख रहा है।

पिग आयरन का उत्पादन (मिलियन टन)				
अवधि	**(क) सेल, आरआईएनएल, टीएसएल, ईएसएल, जेएसडब्ल्यू जेएसपीएल**	**(ख)अन्य उत्पादक**	**उत्पादन (क+ख)**	**अन्य उत्पादक का प्रतिशत हिस्सा**
2018-19	1.663	4.751	6.414	74.1
2019-20	1.193	4.227	5.421	78.0
2020-21	1.413	3.464	4.877	71.0
2021-22*	1.462	4.296	5.759	74.6
स्रोत: जेपीसी; एएम/एनएस =पूर्ववर्ती एस्सार स्टील; *अनंतिम				

जेपीसी: मई, 2022 में अद्यतित

वर्तमान डाटा श्रृंखला का ग्राफीय प्रस्तुतिकरण निम्नानुसार है:-

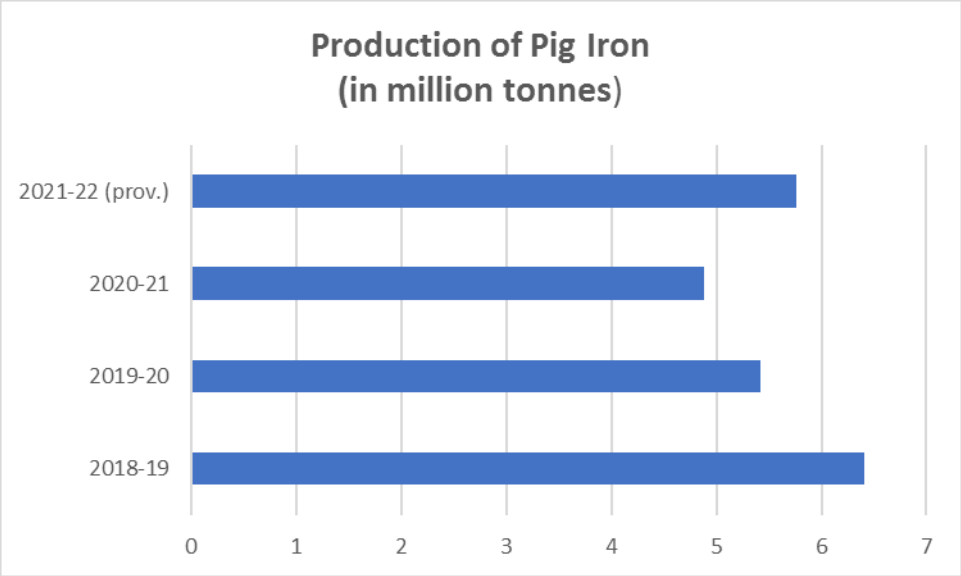

(ग) डीआरआई -उत्पादन/ बिक्री के लिए उत्पादन

डीआरआई या स्पंज आयरन का उत्पादन लगातार प्रबल रहा और भारत विश्व इस्पात संघ द्वारा जारी रैंकिंग के आधार पर, वर्ष 2003 से ही डीआरआई का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है।

स्पंज आयरन की बिक्री की लिए उत्पादन		
वर्ष	**मात्रा(मिलियन टन)**	**विगत वर्ष में प्रतिशत बदलाव**
2010-11	25.081	4.2
2011-12	19.633	-21.7
2012-13	14.329	-27.0
2013-14	18.204	27.0
स्रोत: जेपीसी		

वर्तमान रिपोर्टिंग प्रणाली के अंतर्गत, बिक्री के लिए उत्पादन को सकल उत्पादन या केवल उत्पादन से बदल दिया गया है, यह एक अवधारणा है जो लोहा बनाने से लेकर तैयार इस्पात तक पूरे स्पेक्ट्रम पर लागू होती है।

स्पंज आयरन की बिक्री की लिए उत्पादन		
वर्ष	**मात्रा(मिलियन टन)**	**विगत वर्ष में प्रतिशत बदलाव**
2014-15	24.24	5.9
2015-16	22.43	-7.5
2016-17	28.76	28.2

जेपीसी: मई, 2022 में अद्यतित

2017-18	30.51	6.1
2018-19	34.71	13.7
2019-20	37.10	6.9
2020-21	34.38	-7.3
2021-22*	39.03	13.5
स्रोत: जेपीसी; *अनंतिम		

वर्तमान डाटा श्रृंखला का ग्राफीय प्रस्तुतिकरण निम्नानुसार है:-

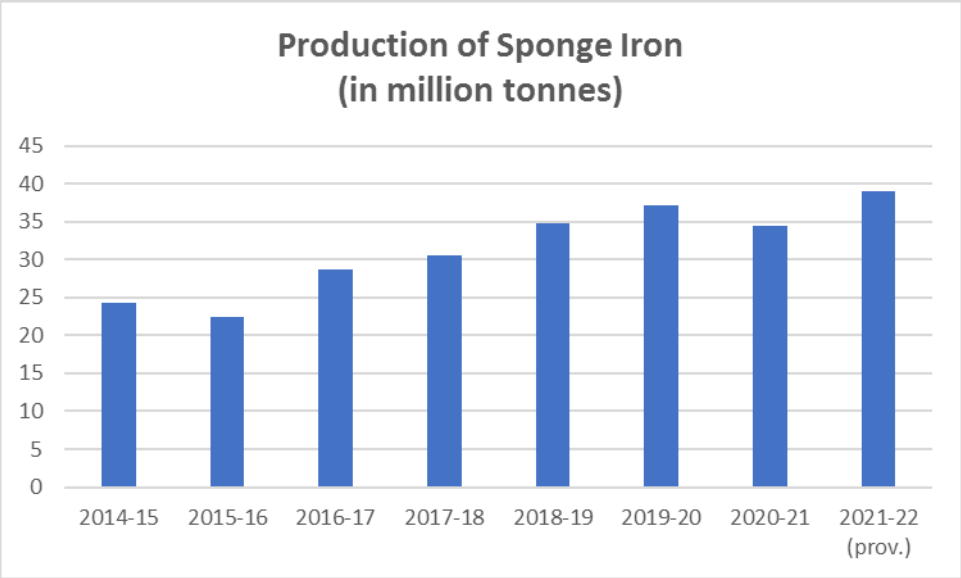

लौह एवं इस्पात का आयात और निर्यात

लौह एवं इस्पात का आयात			
वर्ष	**पिग आयरन**	**कुल तैयार इस्पात (गैर-मिश्रधातु + मिश्रधातु /स्टेनलेस)**	**कुल तैयार इस्पात (गैर-मिश्र धातु+मिश्र धातु/स्टेनलेस)**
	('000 टन)	('000 टन)	(करोड़ रु में)
2010-11	9	6664	26995
2011-12	8	6863	32778
2012-13	21	7925	39290
2013-14	34	5450	30416
2014-15	23	9320	44893
2015-16	22	11711	45044
2016-17	34	7224	34104
2017-18	16	7483	39484
2018-19	67	7835	49317
2019-20	11	6768	44683
2020-21	9	4752	32154
2021-22*	26	4669	46298

जेपीसी: मई, 2022 में अद्यतित

स्रोत: जेपीसी; *अनंतिम

यद्यपि, भारत ने 1964 से इस्पात का निर्यात शुरू कर दिया, निर्यात को विनियमित नहीं किया गया था और यह मुख्यत: घरेलू अधिशेष पर निर्भर था। तथापि, आर्थिक उदारीकरण के बाद के वर्षों में इस्पात के निर्यात ने रिकॉर्ड उंची छलांग लगाई। उसके बाद घरेलू इस्पात की मांग में तेजी से वृद्धि के कारण भारत से इस्पात निर्यात की वृद्धि दर में गिरावट आई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि घरेलू आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा किया जा रहा है। हालांकि, पिछले तीन वर्षों के दौरान रुझान पलट गया है और उक्त अवधि के दौरान कुल तैयार इस्पात के निर्यात में उछाल आया है। भारत वर्तमान में कुल तैयार इस्पात का निवल निर्यातक है।

लौह एवं इस्पात का निर्यात

वर्ष	**पिग आयरन**	**सेमीज**	**कुल तैयार इस्पात**	**कुल इस्पात****	**कुल इस्पात मूल्य**
	('000 टन)				(रुपये करोड़ में)
2010-11	358	350	3637	3987	18433
2011-12	491	201	4588	4789	21946
2012-13	414	144	5368	5512	26912
2013-14	943	486	5985	6471	31315
2014-15	540	640	5595	6235	31283
2015-16	297	639	4079	4718	24083
2016-17	387	1192	8242	9434	38182
2017-18	518	1994	9620	11614	52812
2018-19	319	2183	6361	8544	40900
2019-20	422	2827	8355	11183	45102
2020-21	1099	6602	10784	17385	67131
2021-22*	1213	4878	13494	18372	122222

स्रोत: जेपीसी; *अनंतिम; **कुल इस्पात = सेमीज+ कुल तैयार इस्पात

जेपीसी: मई, 2022 में अद्यतित

पिछले 5 वर्षों के लिए कुल तैयार इस्पात का ग्राफीय प्रस्तुतिकरण निम्नानुसार है:-

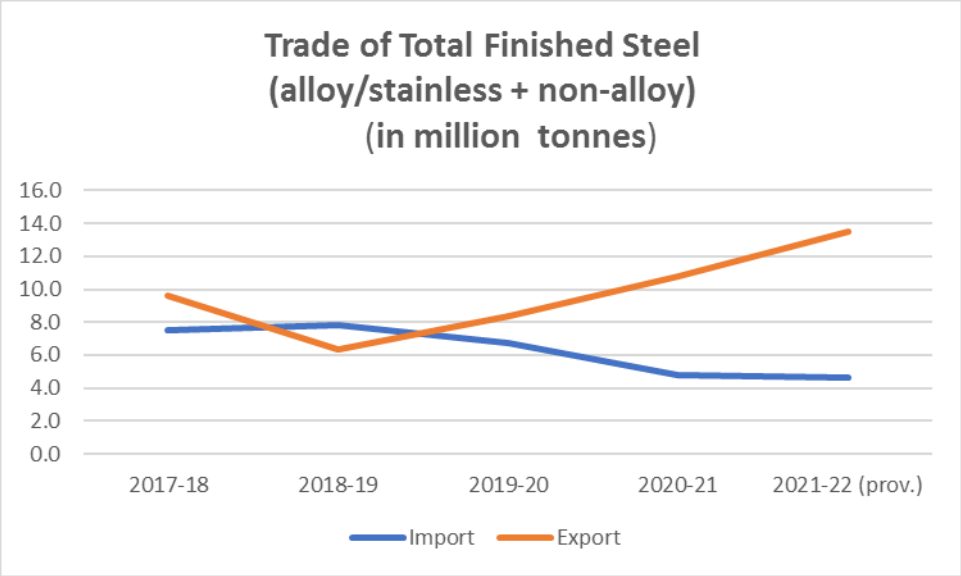

कुल तैयार इस्पात की खपत

निर्यात तथा कुल तैयार इस्पात के भंडार में भिन्नता के समायोजन के बाद संयुक्त आपूर्ति अर्थात (उत्पादन+आयात) से खपत प्राप्त की जाती है। कुल तैयार इस्पात खपत के रुझान के वर्ष-वार आंकड़े नीचे दर्शाया गया है:-

वर्ष	**खपत:** **कुल तैयार इस्पात** (मिलियन टन)	**विगत वर्ष में प्रतिशत बदलाव**
2010-11	66.42	11.9
2011-12	71.02	6.9
2012-13	73.48	3.5
2013-14	74.09	0.8
2014-15	76.99	3.9
2015-16	81.52	5.9
2016-17	84.04	3.1
2017-18	90.71	7.9
2018-19	98.71	8.8
2019-20	100.17	1.5
2020-21	94.89	-5.3
2021-22*	105.75	11.4
स्रोत: जेपीसी		

जेपीसी: मई, 2022 में अद्यतित

पिछले 5 वर्षों में खपत का ग्राफीय प्रस्तुतिकरण निम्नानुसार है:-

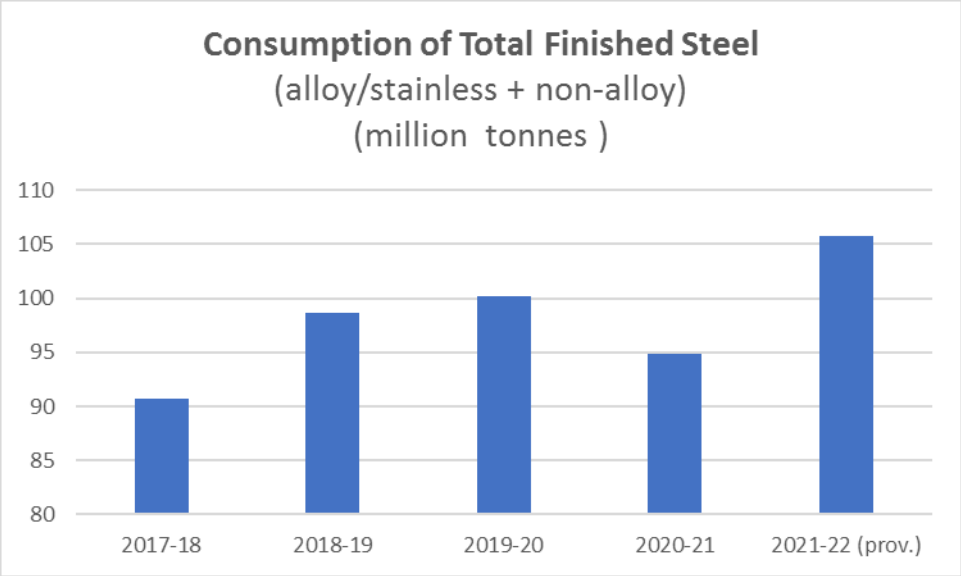

वर्ष 1991 के पश्चात निजी क्षेत्र में अतिरिक्त क्षमता निर्माण:

समय के साथ, भारतीय अर्थव्यवस्था के और अधिक खुलने के साथ, एक संकेंद्रित सुधार प्रक्रिया शुरू होने से और भारतीय अर्थव्यवस्था की तीव्र लेकिन स्थिर वृद्धि के साथ, ओडिशा झारखंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में बड़ी निवेश की योजनाओं की घोषणा के साथ देश के इस्पात उद्योग में निवेश काफी बढ़ गया है। सेल-आरएसपी, सेल आईएसपी, आरआईएनएल, एनएमडीसी, टाटा स्टील, जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील, एएम/एनएस (पूर्ववर्ती एस्सार स्टील) जैसी नई क्षमताओं को आगे बढ़ाने और प्रारंभ करने की दिशा में भी तेजी से कदम उठाए गए हैं। जेपीसी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2021-22 (अनंतिम) में देश में कच्चे इस्पात की क्षमता 154.230 मिलियन टन थी, जबकि राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 में 2030-31 तक घरेलू कच्चे इस्पात की क्षमता 300 मिलियन टन प्रति वर्ष तक पहुंचाने की परिकल्पना की गई है।

परिशिष्ट

i) संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा अपनाई गई रिपोर्टिंग प्रणाली, जिसे इस्पात मंत्रालय द्वारा घरेलू लौह एवं इस्पात उद्योग संबंधी आंकड़ो को एकत्र करने और प्रसारित करने के लिए अधिकृत किया गया है, के अनुसार 2013-14 तक प्रचलित उपर्युक्त प्रणाली ने (क) बिक्री के लिए उत्पादन की अवधारणा पर रिपोर्ट दी थी और (ख) उस समय के दो प्रमुख उद्योग वर्गीकरणों के रूप में "मुख्य उत्पादकों" और "प्रमुख और अन्य उत्पादकों" को विशेष रुप से प्रदर्शित किया गया। हालांकि, 2017-18 से इस्पात मंत्रालय के अनुमोदन और उसके बाद उद्योग के विशेषज्ञों के साथ बातचीत के दौर के पश्चात इस्पात उद्योग की बदलती गत्यात्मकता एवं प्रचालन के तरीके के साथ और नीति में बदलाव की प्रतिक्रिया के आंशिक रूप में भी जेपीसी रिपोर्टिंग प्रणाली बदल गई थी। नई प्रणाली के तहत, बिक्री के लिए उत्पादन को

सकल उत्पादन (या केवल उत्पादन) से बदल दिया गया है और पिछले पाँच वर्षों के आंकड़ों में भी संशोधन किया गया है। दूसरा, मई 2016 में इस्पात मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत उद्योग वर्गीकरण प्रणाली भंग होने के साथ, वर्तमान जेपीसी प्रणाली में (क) "सेल, आरआईएनएल, टीएसएल, ईएसएल, जेएसडब्ल्यू, जेएसपीएल" का संयुक्त समूह और अन्य "अन्य उत्पादक" शामिल हैं।

ii) जेपीसी द्वारा डाटा संग्रह और रिपोर्टिंग के मुद्दे की उद्योग प्रतिनिधियों के साथ-साथ इस्पात मंत्रालय के साथ बातचीत सत्रों के विभिन्न मंचों पर विस्तार से समीक्षा की गई थी और यह महसूस किया गया था कि घरेलू इस्पात उद्योग में संरचनात्मक परिवर्तनों के साथ-साथ वर्तमान इनपुट-आउटपुट गतिशीलता को देखते हुए, जेपीसी द्वारा अपनाई गई डाटा- रिपोर्टिंग प्रणाली में कुछ संशोधन होने चाहिए। वर्ष 2018-19 से जेपीसी रिपोर्टिंग प्रणाली में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए थे:-

- *क) यह एचआर समकक्ष के लिए कच्चे इस्पात की विधि को व्यवहार में लाता है, जिसमें केवल उन वस्तुओं को शामिल किया जाता है जो कच्चे इस्पात/सेमिज उत्पादन से लेकर तैयार इस्पात उत्पादन में सीधे योगदान देते हैं।*
- *ख) इस प्रकार यह डाउनस्ट्रीम और वैल्यू-ऐडिड प्रोडेक्ट बास्केट (सीआर/जीपी आदि) को अलग करता है जिसकी अलग से रिपोर्ट दी जाती है। हालांकि, इस बास्केट में मदों के लिए इन मानकों की कोई समग्र संख्या नहीं है।*
- *ग) इसके अलावा, इस बास्केट में प्रदर्शित वस्तु के आयात, निर्यात, स्टॉक परिवर्तन और खपत के आंकड़े जेपीसी के पास उपलब्ध हैं और तदनुसार रिपोर्ट किए जाते हैं।*
- *घ) इस्पात की खपत संबंधी आंकड़े शुद्ध आयात और स्टॉक परिवर्तन के साथ तैयार इस्पात उत्पादन को समायोजित करने की मानक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किए जाते है, जिसकी संगणना मूल्य श्रृंखला में सभी मदों का प्रयोग करके की जाती है, ताकि कोई आंकड़ें कम न हो जाएं।*
- *ङ) प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत की गणना ऊपर दी गई इस्पात खपत संख्या और देश के लिए जनसंख्या का प्रयोग करके की जाती है, जैसा कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट किया गया है।*

iii) अप्रैल 2020 से, टाटा स्टील के स्वामित्व वाली सभी इकाइयों को जेपीसी रिपोर्टिंग प्रणाली में एक ही नाम-"टीएसएल ग्रुप" के तहत समूहीकृत किया जाएगा। इस तरह का बदलाव रिपोर्टिंग की एक समूह अवधारणा के लिए विभिन्न मंचों पर इस्पात मंत्रालय तथा उद्योग की विभिन्न फोरम के मिली सलाह का पालन करता है और केवल सांख्यिकी उपयोग के लिए है। साथ ही, स्वामित्व में बदलाव के बाद, एस्सार स्टील का नाम बदलकर एएम/ एनएस कर दिया गया है।

यह ध्यान देने योग्य है कि इन सभी-बदलावों के दौरान, जेपीसी द्वारा रिपोर्टिंग की प्रणाली केवल सांख्यिकीय उपयोग के लिए बनी हुई है।